680वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 सितम्बर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 680वीं बैठक दिनांक 15/09/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. Case No 10449/2023 Dr Vinod Bhandari, Director, M/s Vb Builders And Developers, R/o 159/1/2/1, Gram Bhorasala, District-Indore (MP)- 453555 Prior Environment Clearance for Proposed Construction of "Heighline Heritage" in an area of 6.59 ha. (71365 Sq.m.) (Khasra No. 159/1/2/1/1, 159/1/2/2/1, 159/2,), Village-Bhanwarasla, Tehsil-Sawer, District-Indore (MP).

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Construction of "Heighline Heritage" in an area of 6.59 ha. (71365 Sq.m.) (Khasra No. 159/1/2/1/1, 159/1/2/2/1, 159/2,), Village-Bhanwarasla, Tehsil-Sawer, District-Indore (MP).

Salient features of the project:

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/MIS/70875/2022.
2.	Project Name	Dr Vinod Bhandari, Director, M/s V B BUILDERS AND DEVELOPERS, R/o 159/1/2/1, Gram Bhorasala, District-Indore (MP)- 453555, E-mail-vb21122@gmail.com, Mobile-7224051000
3.	Total Plot Area	Prior Environment Clearance for Proposed Construction of "Heighline Heritage" in an area of (71,365 Sq.m.) (Khasra No. 159/1/2/1/1, 159/1/2/2/1, 159/2,), Village-Bhanwarasla, Tehsil-Sawer, District-Indore (MP) [438017] 1.3629
4.	Total Land/plot area (sq. m)	15064.44 sq. m

5.	**Project**	**New**
6.	**Built-up Area**	71,365 Sq.m
7.	Description of Project	M/s. V B BUILDERS AND DEVELOPERS is proposing to construct Multidwelling project at Khasra no. 159/1/2/1/1, 159/1/2/2/1, 159/2, Village-Bhawarasla, Tehsil-Sanwer, District-Indore, Madhya Pradesh.
8.	Latitude/ Longitude.	Latitude - 22°47'48.04"N Longitude - 75°50'54.60"E
9.	Building Permission	Letter No. 723 date 16 Feb. 2023.
10.	CGWA Permission	Application Code : 93346 PP Apply.
11.	T&CP Permission	Online Permission issued Date 30/06/2021.
12.	Solid Waste Generation	13 TPA.
13.	E-Waste (0.15 kg/C/Yr)	0.8 TPA.
14.	Extra Treated Water NOC	PP Apply dated 19.07/2023.
15.	DG Seat details	1x50 KVA, 1x75 KVA, 1x 100 KVA, 1x150 KVA
16.	Parking details	478 No.
17.	Risc Assesment	Submitted
18.	Environment Consultant	Shri Pradeep Chandana & Shri Shubham Dubey, M/s Envisolve LLP, Indore(M.P.) Valid up to 08/07/2025.

The case was presented by Env Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P and Shri Anupam Singh Senior Manager , wherein following details were submitted:

- VB Builders and developers are known for its bespoke experiences and signature Experience in the Real Estate
- M/s VB Builders and Developers are proposing the Construction of Multidwelling project. ***"Proposed Construction of 'Highline Heritage"***, at Plot No.- 159/1/2/1/1,159/1/2/2/1,159/2, Village- Bhawarasla, Tehsil and District-Indore, Madhya Pradesh.
- The total built-up area of the project is 71365 m^2.
- The proposed project is falling under Project /Activity 8(a), Building and Construction Projects, Category B (built-up area >/= 20000 m^2 and < 150000 m^2) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, Madhya Pradesh.

Project Title	Proposed Construction of "Highline Heritage"
Total Plot Area	15064.44 m^2
Total Built up Area	Total Built-up Area-71365 m^2

Location of Project	Plot No.- 159/1/2/1/1,159/1/2/2/1,159/2, Village- Bhawarasla, Tehsil and District- Indore, Madhya Pradesh.
Geological Location	Latitude- 22°47'47.86"N; Longitude- 75°50'53.80"E
Building Utilities	Residential, offices and Shops
Estimated Project Cost	Total Cost- INR 138.33 crores
Height of the Building	30 mtrs

S. No.	Particulars	Proposed Quantity/Area
1.	Total Built-up Area	71365 m^2
2.	Permissible Ground Coverage @ 30% Proposed Ground Coverage @ 29.28%	4664.55 sq.mt. 4659.88 sq.mt.
3.	Total No. of Dwelling Units	349 Nos. (60- 1 BHK, 268 -2BHK, 7 -3BHK, 14-4BHK)
4.	Total No. of Shops	34 Nos.
5.	Total No. of Offices	38 Nos.
6.	Green cover area	1435.31 sq.mt.
7.	Parking	Required as per norms: 478 ECS Total Proposed Parking: 665 ECS Basement -1 = 265 Basement-2 = 265 Stilt parking = 95 Open Parking = 40
8.	DG set details	4 No's DG set (50+75+100+150) KVA
10.	Water Requirement	Total Requirement : 349.84 KLD Fresh Water : 202.58 KLD Flushing : 119.73 KLD Gardening : 7.53 KLD
11.	❑ STP ❑ Rainwater Harvesting Quantity ❑ Garbage Disposal ❑ Service Block (Substation, DG Set, etc.) ❑ Toilets for employees (Security Guards, Gardener etc)	❑ 310 KLD ❑ 2 No. of RWH Pits ❑ Yes, as per norms ❑ Yes, as per norms ❑ 02 Toilets will be provided for Security Guards, Gardener etc.

After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for proposed new Construction of Multidwelling project. *"Proposed Construction of 'Highline Heritage"*, at Plot No.- 159/1/2/1/1,159/1/2/2/1,159/2, Village- Bhawarasla, Tehsil and District- Indore, Madhya Pradesh.Cat. 8(a)subject to the following special conditions:

Statutory Compliance

i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.
ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low lying area.The top soil shall be used for greenery development.

II. Air Quality Monitoring and preservation

i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.

ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.

iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.

iv. 04 Diesel power generating sets 50 kVA*1 nos., 75kVA*1 nos.,100 kVA*1 nos. and 150 kVA*1 nos.proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low Sulphur Diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.

v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.

vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.

vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.

viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.

xi. The gaseous emission from DG sets 50 kVA*1 nos., 75 kVA*1 nos., 100 kVA*1 nos. and 150 kVA*1 nos.shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set

and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.

xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

i. The STP shall be designed to achiev BOD level upto 3.0 mg/l if it is to be discharged in stream or natural water sources.

ii. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.

iii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.

iv. The total water requirement during operation phase is 349.84 KLD out of which 202.58 KLD is fresh water requirement and 253.61 KLD will be the total recycled water generated, out of which 119.73 KLD recycled water will be used for flushing, 20 KLD will used for HVAC and 7.53KLD water will be used for horticulture.

v. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.

vi. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

vii. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.

viii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.

ix. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.

x. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.

xi. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

xii. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

xiii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.

xiv. For rainwater harvesting, 02 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about 218.13m^3/hr.Mesh will be provided at the roofso that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.

xv. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWB.

xvi. All recharge should be limited to shallow aquifer.

xvii. No ground water shall be used during construction phase of the project.

xviii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.

xix. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.

xx. Sewage shall be treated in the MBR based STP (Capacity **- 310** KLD).The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.

xxi. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 310 KLD capacity (based on MBR based technology) and then reused for various purposes.

No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.

xxii. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

xxiii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.

xxiv. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. **Noise monitoring and prevention**

i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.

ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.

iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

i. The PP shall ensure power generation from non- conventional sources i.e. solar power etc. to achieve 30% of the total power consumption.

ii. Looking to the use of e-vehicles atleast three battery charging points per towers i.e. 06 point in the projects shall be provided

iii. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.

iv. Outdoor and common area lighting shall be LED.

v. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

vi. Energy Conservation measures like installation of CFls/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.

vii. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level /local building bye-laws requirement, which is higher.

viii. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. **Waste Management**

i. Total waste 1285.95 Kg/day, this consist all types of wastes (as Organicwaste 771.57 Kg/day and non- organic waste 385.78 Kg/day), Inert waste 128.59 Kg/day, E- waste 361.44Kg/Annum, and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.

ii. Basic facilities like wash rooms and toilets (02 nos.)for the use by employees, guard, gardeners, outside drivers and house hold workers shall be provided to avoid open defecation in the nearby areas.

iii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.

iv. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.

v. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (0.4 ton/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.

vi. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.

vii. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.

viii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity.

These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.

ix. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.

x. Any wastes from construction and demolition activities related thereto small be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.

xi. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. **Green Cover**

i. Total 500 trees shall be planted in the area of 1435.31 m^2(10 % of total plot area) within the project site.

ii. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should included plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.

iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

iv. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII **Transport**

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network.

Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
b. Traffic calming measures.
c. Proper design of entry and exit points
d. Parking norms as per local regulation

ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.

iii. Total proposed Parking's arrangement for 665 ECS (Basement 1&2 parking530 ECS, stilt parking-95 and 40 ECS for open parking).

iv. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.

ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.

iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets,

mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.

vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. **EMP &Corporation Environment Responsibility**

vii. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.

i. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.

ii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iii. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

iv. **For Environment Management PlanPP has proposed Rs.1558.6 Lacs as capital and Rs. 70.50 Lacs as recurring cost for this project.**

v. **PP has proposed Rs 220 Lacs under Corporate Environment Responsibility (CER).**

S.No.	Particulars	Total	1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year	5th Year
1.	• **<u>Plantation</u>** • With Pharmacy College & Medical College Pharmacology dept. will develop a garden namely "**Charak AushadhiUdhyan"**. in which the Medicinal plants will be planted. • The Govt. Ashtang Ayurvedic College & College and Forest Deptt. (Ayush Deptt.) will facilitate development of research in **"Charak Aushadhi Udhyan"** at site selected & approved by Ayurved College & Forest Deptt. • In this site selection the different types of plants which are helpful in development of medicine, treatment, research will be planted. • The research against 15 diseases like; Cancer, Leukemia, Sickle Cell, Diabetes, Rheumatic Disorders etc. will be done. This will be evidence-based research, collaborated with consultants of Medicine Science, Ayurvedic Doctors, Unani doctors &Local Vedhya of the tribal & fore4st dweller areas" • The VB Builders in collaboration with Sri Aurobindo University will develop a department of Integrated Medicine & Research in consultation with Ayush Deptt.. • For this a joint MoU shall be formed between VB Builders, Aurbindo Medical College, Indore. Ayurvedic College and	**INR 35 Lacs**	**5 Lacs**	**5 Lacs**	**10 Lacs**	**10Lacs**	**5 Lacs**

S.No.	Particulars	Total	1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year	5th Year
	Forest Deptt.						
2.	**<u>Health Education</u>** PP shall adopt atleast cluster of 10 Villages preferably remote and tribal habitats namely- Pedmi, Jetpura, naharjhabua, Teliakhedi, Bhadkya and Dangi Semlya for health Education and treatment of the poor patients and the following activities shall be conducted: a. Sanitation. b. Oral Htgene. c. Health Education d. Health Camps e. New born screening f. Early detection of cancer g. Treatment of patients at Sri Aurobindo Hospital (SAIMS) h. Conference on tribal traditional medicinal plants. Knowledge sharing with Ayurvedic Doctors, Medical Doctors, Paramedical staffs etc. so that we can grow plants and manufacture traditional tribal medicines and evidence-based research. i. Three well equipped Ambulances having facilities for Dental Cancer Detection & Mammography, Forest visits, campaigning in cluster of villages etc. shall be developed. One such Ambulance shall be handed over to the Govt. PHC after the project is completed. J. Purchase of kits for testing of pathology, biochemistry, microbiology etc. investigations for cluster of villages selected.	**INR 125 Lacs (Camps, Equipment's , Ambulances etc.)**	**20 Lacs**	**30 Lacs**	**30 Lacs**	**30 Lacs**	**15 Lacs**

S.No.	Particulars	Total	1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year	5th Year
3.	**Skill Development:** Upgradation of skills of existing nursing, paramedical and doctors posted at these tribal PHCs & CHCs in consultation with CMHO. On-spot health and hygiene awareness program for all villagers. Promote poor children to continue their education with Health Sector Skill Council (HSSC) programs. Training of Medical Personnel for New Born screening sample collection (Neonate of age 48 to 78 Hr.)	**INR 35 Lakhs**	**10 Lacs**	**5 Lacs**	**5 Lacs**	**5 Lacs**	**10 Lacs**
4.	Development and provision for greening Devguradia hill lock through forest department	**25 Lacs**	**5Lacs**	**5 Lacs**	**5 Lacs**	**5 Lacs**	**5 Lacs**
Total CER		**INR 220 Lacs**	**40Lacs**	**45 Lacs**	**50 Lacs**	**50 Lacs**	**35 Lacs**
To carry out and facilitate research activities, awareness campaigns and skill development retrieving ethnobotanical knowledge related to medicinal plants from the forest dwellers, there should be a coordination team comprising experts from Ashtang Ayurvedic College Indore, Forest Department Indore, Forest Institute (SFRI – Dr Homker and TFRI- Dr Darshn Gattane), Aurbindo Medical College experts, Holkar Science College, Indore (Prof. Sanjay Vyas), RFC Jabalpur (Dr Susheel Upadhyay) and other experts in these fields.							

XI. Miscellaneous

i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.

ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)

iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).

iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

2. Case No 10425/2023 Shri Sudesh Jain, Owner, Ward No. 4, Chhapara, Tehsil-Chhapara, District-Seoni (MP)-480661, Prior Environment Clearance for Gorakhpurakala Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (16693 cum per year) (Khasra No. 241, 242, 243), Village-Gorakhpur, Tehsil-Seoni, District-Seoni (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री स्वदेश जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अंकुर शर्मा (ऑनलाईन) मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri SUDESH JAIN, Owner, Ward No. 4, Chhapara Tehsil Chhapara DIst Seoni (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	241, 242, 243 (निजी –नॉन फॉरेस्ट लेंड भू–स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक के पक्ष में)	2.00 hectare.
स्थल	ग्राम GORAKHPUR तसहील Seoni जिला Seoni (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के पत्र क्रमांक 2138 दिनांक 02/03/19 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया सिवनी के पत्र क्रमांक 1450 दिनांक 05/10/18 के द्वारा पत्थर–16059 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–16,693 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया	

	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–16,693 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 202 दिनांक 28/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 202 दिनांक 28/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 202 दिनांक 28/03/23 अनुसार 150 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री सड़क स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गोरखपुरकलां जिला सिवनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–21 दिनांक 01/06/2008 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–86 के सरल क्रमांक–25 पर दर्ज है ।

प्रकरण का परीक्षण

- प्रकरण का परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि डीएसआर में जो कार्डिनेट है वह माईनिंग प्लान में दिये कार्डिनेट से भिन्न है। अतः पीपी से प्राप्त करेगें। एम.ओ से रिवाईस कॉर्डिनेट प्राप्त करेगें
- परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से जारी हुई है एंव खनन् का कार्य पूर्व में हुआ है डिया द्वारा अधिरोपित ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार 2400 पौधे लगाये जाने थे अतः 25 प्रतिशत पौधे लगाकर पुनः प्रस्तुत करें।
- प्रतिवर्ष लगाने थें,: **समिति ने पा**या कि अभी तक लगायें गये पौधों का प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करें, साथ ही फेंसिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तो का भी पालन होना चाहिऐ था ।

अतएव समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तो के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं अन्य शर्तो का शत् प्रतिशत पालन प्रतिवेदन **एवं दस्तावेज, व्यय, जियो टेग फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें, साथ ही यह भी निर्देश दिया कि डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के अनुसार एवं प्रस्तावित योजना**

के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत पौधे का कियान्वयन प्रस्तुत करेगें, तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

3. <u>Case No 10455/2023 Shri Nitin Chouhan, Owner, R/o 27, Sukhniwas, District-Indore (MP)-453331, Prior Environment Clearance for Sitapat Crusher Stone Quarry in an area of 1.55 ha. (12500 cum per year) (Khasra No. 209/1/1), Village-Sitapat, Tehsil-Mhow, District-Indore (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/9/23. को परियोजना प्रस्तावक नितिन चौहान एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri NITIN CHOUHAN, Owner, R/o - 27, Sukhniwas Indore District-Indore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	209/1/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.55 hectare.
स्थल	ग्राम Sitapat तसहील Mhow जिला Indore (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, (प्रशासन एवं खनिकर्म) भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 17001–02 दिनांक 13/12/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार कंट्रोल ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया इंदौर के पत्र क्रमांक 199 दिनांक 22/11/18 के द्वारा पत्थर–12,500 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–12,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–12,500 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 29 दिनांक 11/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 03.95 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 29 दिनांक 11/01/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	

	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 29 दिनांक 11/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सीतापाठ जिला इंदौर के ठहराव प्रस्ताव पत्र क्रमांक–7 दिनांक 22/06/10 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 965 दिनांक 01/05/23 अनुसार उक्त खदान आगामी डी.एस.आर. रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि **इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से जारी हुई है एं**व खनन् का कार्य पूर्व में हुआ है। **समिति ने पा**या कि अभी तक लगायें गये पौधों का प्रमाणिक दस्तावेज साथ ही फेंसिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तो का भी पालन होना चाहिऐ था ।

अतएव समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तो के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं अन्य शर्तो का शत् प्रतिशत पालन प्रतिवेदन **एवं दस्तावेज, व्यय, जियो टेग फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें, साथ ही यह भी निर्देश दिया कि डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के अनुसार एवं प्रस्तावित योजना के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत पौधे का कियान्वयन प्रस्तुत करेगें, तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।**

4. <u>Case No 10359/2023 Shri Vimal, Lessee, R/o Village-Mukhtyara, Tehsil-Barwaha, District-Khargone (MP)-451115, Prior Environment Clearance for Mukhtyara Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5000 cum per year) (Khasra No. 44(s)), Village-Mukhtyara, Tehsil-Barwaha, District-Khargone (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विमल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri VIMAL Dangi , Lessee, R/o- Village Mukhtyara, Tehsil- Barwaha, District- Khargone, M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	44(s) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.00 hectare
स्थल	Village-Mukhtyara, Tehsil- Barwaha, District- Khargone (M.P.).	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 1338–39 दिनांक 03/02/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना के पेज नं.–15 अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–5,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–5,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 640 दिनांक 09/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 02.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 640 दिनांक 09/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 640 दिनांक 09/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/ नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत मुखत्यारा जिला खरगौन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–18	

पंचायत की अनापत्ति	दिनांक 15/04/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा– कच्चा रोड – 220 मी., उत्तर दिशा– नाला – 230 मी., पश्चिम दिशा हालेज रोड– 27 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन ने पत्र क्रमांक 9789 दिनांक 27/03/23 द्वारा सूचित किया है कि उक्त प्रकरण में संपूर्ण औपचारिक्तायें पूर्ण करने के उपरांत उक्त उत्खनन् पट्टा को आगामी डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–5,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.17 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 2.06 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.36 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
ग्राम मुख्त्यारा के आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण आहार एवं बच्चो के लिए बर्तन एवं खेल सामग्री हेतु महिला बाल विकास संघ को राशि प्रदान की जावेगी प्रदान की जावेगी	36,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	बैरियर जोन के अंतर्गत (खदान पट्टा सीमा 400 मीटर परिधि तक	काला सिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, आमला, पीपल, सिस्सू, बबूल,	400

		जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोल आदि।	
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 250 मीटर तक	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर.,पीपल आदि।	170
3	दूसरे वर्ष में मुक्तिधाम में उपलब्ध क्षेत्र में 50 पौधे रोपे जाएंगे	नीम, सिस्सू, करंज, पीपल, कदम्ब, चिरोल, पाकर., आदि।	50
4	ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल आदि।	580
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना ।			
		कुल	1200

5. <u>Case No 10436/2023 Shri Rajesh Agrawal, Owner, S/o Radheshyam Agrawal, House No. 444, Railway Station Road, Panchayat ke Pass, Ghoradongri, Ghora Dongri, Reet, District-Betul (MP)-460443, Prior Environment Clearance for Ghoradongri Stone Quarry in an area of 1.972 ha. (12054 cum per year) (Khasra No. 31/2, 34/1, 34/2), Village-Ghoradongri, Tehsil- Ghora Dongri, District-Betul (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri RAJESH AGRAWAL, Owner, S/O Radheshyam Agrawal, House No. -444, Railway Station Road, Panchayat ke pass Ghondadongri, Ghoda Dongri, reet, betul (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	31/2, 34/1, 34/2 (निजी भू–स्वामी गौंड जाति का है –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.972 hectare.
स्थल	Village Ghoradongri, Tehsil Ghoradongri, District Betul (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 1485 दिनांक 20/11/17 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार कंट्रोल मफल ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बैतूल के पत्र क्रमांक 14 दिनांक 12/02/18 के द्वारा पत्थर–12045 घनमीटर/वर्ष एवं मुरूम–3000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–12,054 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–12,054 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 577 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 577 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 577 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत घोड़ाडोगरी जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–13 दिनांक 07/01/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–19 के सरल क्रमांक–18 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि **इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से जारी हुई है एं**व खनन् का कार्य पूर्व में हुआ है। **समिति ने पा**या कि अभी तक लगायें गये पौधों का प्रमाणिक दस्तावेज साथ ही फेंसिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तो का भी पालन होना चाहिऐ था ।

अतएव समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तो के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं अन्य शर्तो का शत् प्रतिशत पालन प्रतिवेदन **एवं दस्तावेज, व्यय, जियो टेग फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें, साथ ही यह भी निर्देश दिया कि डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के अनुसार एवं प्रस्तावित योजना के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत पौधे का कियान्वयन प्रस्तुत करेगें, तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।**

6. Case No 10443/2023 Shri Raj Parihar, Lessee, R/o Tagore Ward, Gandhi Nagar Colony, Betul Ganj, District-Betul (MP)-460001, Prior Environment Clearance for Sarad Stone Quarry in an area of 1.50 ha. (11400 cum per year) (Khasra No. 104/1), Village-Sarad, Tehsil-Betul, District-Betul (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राज परिहार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri RAJ PARIHAR, Lessee, R/o- Tagore ward Gandhi Nagar Colony Betul Ganj Betul, District- Betul (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	104/1 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.50 hectares
स्थल	Village Sarad, Tehsil Betul, District Betul (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र दिनांक 22/10/14 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार सिंगल रो मफल ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बैतूल के पत्र क्रमांक 13 दिनांक 17/05/16 के द्वारा पत्थर–11,400 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–11,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–11,400 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 557 दिनांक 21/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 557 दिनांक 21/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 557 दिनांक 21/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव	

	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सराड़ जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–4 दिनांक 17/08/13 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा–
	दक्षिण दिशा–
	पूर्व दिशा–
	पश्चिम दिशा–
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–16 के सरल क्रमांक–2 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि **इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से जारी हुई है एं**व खनन् का कार्य पूर्व में हुआ है। **समिति ने पा**या कि अभी तक लगायें गये पौधों का प्रमाणिक दस्तावेज साथ ही फेंसिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तो का भी पालन होना चाहिऐ था ।

अतएव समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तो के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं अन्य शर्तो का शत् प्रतिशत पालन प्रतिवेदन **एवं दस्तावेज, व्यय, जियो टेग फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें, साथ ही यह भी निर्देश दिया कि डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के अनुसार एवं प्रस्तावित योजना के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत पौधे का क्रियान्वयन प्रस्तुत करेगें, तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।**

7. **Case No 10424/2023 Shri Jahar Singh, Owner, Village-Khanakhedi, Jaitpur, Tehsil-Sironj, District-Vidisha (MP)-464228, Prior Environment Clearance for Ratanbarri Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (3000 cum per year) (Khasra No. 296), Village-Ratanbari, Tehsil-Sironj, District-Vidisha (MP)**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री जाहिर सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri JHAR SINGH, Owner, Village-Khanakhedi, Jaitpur Tehsil Sironj District Vidisha (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	296 (निजी –नॉन फॉरेस्ट लेंड परियोजना प्रस्तावक के स्वामित्व की)	1.00 hectare.
स्थल	ग्राम RATANBARI तसहील Sironj जिला Vidisha (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के पत्र क्रमांक 1163 दिनांक 18/05/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–3,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–3,001 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1564 दिनांक 20/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1564 दिनांक 20/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1564 दिनांक 20/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रतनबर्री जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–13 दिनांक 26/01/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -	

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– खदान क्षेत्र से लगे हुये कुछ घर है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि घर उन्ही के है, तथा प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं हैं। इस संबंध में उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुतीकरण में दिया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1564 दिनांक 20/06/23 अनुसर आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन योजना में ब्लास्टिंग का प्रस्ताव दिया हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये नॉन ब्लास्टिंग प्रस्तावित किया गया है। ऐसे प्रकरणों में खनन योजना में भी संशोधन किया जाना होगा, ऐसा निर्णय सिया की बैठक क्र0. 797 दिनांक 01/08/2023 मे निम्नानुसार निर्णय लिया गया है **''ऐसी अनुमोदित खनन योजना जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉन–ब्लास्टिंग का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है उन प्रकरणों में नॉन–ब्लास्टिंग संक्रिया हेतु खनिज विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित खनन योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदन के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जायें"**।

चूकि यह प्रकरण उक्त निर्देशों के पूर्व का था। अतः आज प्रस्तुतिकरण के दोरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का शपथ पत्र जारी किया गया। अतः पी.पी. को यह अवगत कराया गया की वह खनन योजना में भी संशोधन करवाये, तथा परिक्षण हेतु प्रकरण को पुनः प्रस्तुत करें।

8. <u>Case No 10434/2023 M/s. Jai Bhole Stone Crusher, Shri Rohit Prajapat, Partner, Atirikt Vishv Bank Colony, District-Ujjain (MP)-456006, Prior Environment Clearance for Piplyabicha Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (10893 cum per year) (Khasra No. 198/1, 197/min-2), Village-Pipliya Bichha, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रोहित प्रजापति एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Rohit Prajapat, Partner, M/s JAI BHOLE STONE CRUSHER, Atirikt Vishv Bank Colony, Ujjain Dist Ujjain (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	198/1,197/min-2(निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.00 hectare.
स्थल	ग्राम PIPLIYA BICHHA तसहील Ujjain जिला Ujjain (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 476 दिनांक 04/04/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार कंट्रोल ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेकट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–10,893 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–10,893 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1486 दिनांक 31/08/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1486 दिनांक 31/08/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1486 दिनांक 31/08/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गुनईखालसा जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–6 दिनांक 03/10/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में एक पिट दिखाई दे रहा है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 05/06/2023 में उललेख किया गया है	

	कि उक्त पिट ग्राम पंचायत की सडक बनाने के लिये उत्खनन् किया गया है। उत्तर पूर्व दिशा– कच्चा रोड़ 15 मी.
	दक्षिण पूर्व दिशा– कच्चा रोड़ 25 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक–11 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि परिवेश पोर्टल पर जो गूगल इमेज अपलोड़ है उसके आक्षांश'देशांश का मिलान डीएसआर के आक्षांश'देशांश से नही होता अतः परियोजना प्रस्तावक ने माईनिग प्लान के अनुसार जो गूगल इमेज प्रस्तुत की उसका मिलान डीएसआर के आक्षांश'देशांश से होता है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–10,893 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.10 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.17 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम गुनाईखालसा आंगनबाड़ी में मरम्मत एवं रंगरोगन कार्य हेतु महिला बाल विकास विभाग में उक्त राशि जमा करवाना ।	40,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, मुनगा, आम, जामुन, करंज,चिरोल,सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	650
2	परिवहन मार्ग	नीम,करंज,जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	150
	गाँव में वितरण	आँवला, मुनगा, आम, जामुन एवं अन्य प्रजातियाँ।	400

गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना ।	
कुल	1200

9. Case No 9527/2022 Shri Sanjay Jain, Partner, Om Sai Stone Pvt. Limited, C-505, Mix Tower, D.B. City, Gwalior (MP), Prior Environment Clearance for Biloua Stone (Gitti) Quarry an area of 1.150 ha. (30000 Cum per annum) (Khasra No. 2678, 2673/1, 2674/2, 2677/2), Village–Biloua, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री संजय जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

Form – II Details				
S N	**Projects Details**			**Remarks**
1.	Name of the project / Company / Organisation	Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.15 ha. (30,000 Cum per year) (Khasra No. - 2678, 2673/1, 2674/2, 2677/2), Village - Biloua Tehsil - Dabra District – Gwalior (M.P.).		
2.	Name of the Applicant and Address	Shri Sanjay Jain, Partner, M/s Om Sai Stone, Partner-Shri Sanjay Jain, R/o C-505, Mix Tower, D.B. City, Gwalior, (M. P.)474011.		
3.	Proposal No	SIA/MP/MIN/407618/2022.		
4.	EC Status (Fresh/ Exp.)	Fresh		
5.	Proposed ToR	ToR Recommendrd in 617 SEAC Meeting Dated 03/01/2023.		
6.	Khasra No. / Lease Area (Govt. or Private)	Khasra No.- 2678, 2673/1, 2674/2, 2677/2,	**1.15 Ha.**	Pvt . land
7.	Location of Project	Khasra No. - 2678, 2673/1, 2674/2, 2677/2, Village - Biloua Tehsil - Dabra District – Gwalior (M.P.)		
8.	Production Quantity in m3/year	Stone– 30,000 Cubic Meter/Year.		
9.	Public Hering	26/05/2023		
10.	Range of ground water table (post monsoon)	-		परिवेश पोर्टल में ग्राउण्ड वाटर टेवल का आप्शन नहीं दर्शाया है।
11.	CGWA / G S NOC	Undertaking : खदान संचालन हेतु आवश्यक जलापूर्ति ग्राम /नगर पंचायत से की जावेगी।		
Documentary Details				
12.	M.O. Certificate (within 500 Meter details)/ Ekal Praman Patra.	Collector Office Letter (Ekal Praman Patra) No. 12161 date 02/12/22.		Ok. 06 more mine Total Area – 13.227 ha.
13.	Lease Sanction Order/ Agreement / LoI	Lease Ordet No. 13846 dt. 07/10/2022.		Ok

14.	Tehsildar Certificate	Collector Office Letter (Ekal Praman Patra) No. 12161 date 02/12/22.	तहसीलदार, तहसील डबरा के पत्र दि0. 02/02/2021 अनुसार मानव बसाहट 300 मी.एंव खेल परिसर बिल्ड़ग 375 मी. की दुरी पर है।
15.	DFO NOC	Collector Office Letter (Ekal Praman Patra) No. 12161 date 02/12/22.	Ok
16.	Gram Sabha Tharav Prastav/ NOC (GP).	Nagar Panchayat NOC letter No. date / / .	Ok
17.	Khasra Panchshala (P-II form).	2678, 2673/1, 2674/2, 2677/2,	Ok
18.	Production Quantity as per Approved Mining Plan	Stone – 30000 Cubic Meter/Year	Ok –Mine Plan page no.-18.
19.	Env. Consultant: Shri Amit Saxena, Apex Mine Tech, Udaipur (Rajashan) Validity - 2024-04-16.		
20.	DSR	प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा) जिला–भिण्ड द्वारा एकल पत्र क्र0. 12161 दिनांक 02/12/22 द्वारा उल्लेख किया है, कि उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे सम्मिलित की जावेगी। Page No. - 1.	
21.	PFR	Ok	Ok
22.	EMP	Ok	Ok
23.	No. of tree saplings to be planted.	1380 No.	
24.	Risk Assessment	Ok	Ok
25.	गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा– कच्चा रोड 104 मी. एवं पूर्व दिशा में कच्चा रोड 130 मी परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दक्षिण दिशा में जो शेड है, वह आस–पास के खदानों के है। प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
26.	जन सुनवाई	इस खदान की जनसुनवाई के दौरान रोजगार, वृक्षारोपण इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ई.एम.पी./सीईआर में शामिल किया गया है।	
27.	Cordinates as per Mine Plan Page No. – 11.		

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–30,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 22.28 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 0.70 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम चिरई के अधो संरचना विकास के लिए पंचायत को राशि जमा कराई जाएगी	**1,20,000**
ग्राम चिरई के आंगनवाड़ी केंद्र के अधो संरचना पालक शिक्षक संग समिति में राशि जमा कराइ जाएगी	**40,000**
कुल	**1,60,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (0.3310 (Ha-) पर तीन लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा) 2* 2* 2के गड्ढे खोदकर काली मिट्टी भरी जाएगी और उसमे पौधरोपण किया जायेगा	शीशम, सागौन, सिरस, सीताफल,अमरूद, कला सिरस, बाँस, गुलमोहर, कचनार नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	400
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (700 मीटर) के ,के तरफ दो लाईना में 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	कला सिरसए बाँसए गुलमोहरए कचनार नीम, पीपल, करंज, चिरोल, आदि।	400
3	खदान के पूर्व दि ा मे 130 मीटर दूरी पर स्थित सडक के दानो तरफ दो लाईनो मे 4 फीट की उॅचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	कला सिरस, बाँस, गुलमोहर, कचनार नीम, पीपल, करंज, चिरोल, आदि।	300

4	आस पास के ग्रामीण किसानो को पौधे वितरित किये जायेंगे	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	**300**
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना ।			
		कुल	1400

10. <u>Case No 8405/2021 Shri Priyank Jain, Jhansi road, infront of MPEB, Civil line, Tikamgarh MP - 472442 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (40000 cum per annum) (Khasra No. 42 (P)), Village - Magrai, Tehsil - Mohangarh, Dist. Tikamgarh (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रियंक जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव,ऑनलाईन मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri PRIYANK JAIN, Lease Owner, jhansi road, infront of MPEB, Civil line, Tikamgarh(M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	42(P) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.0 hectare.
स्थल	Village- Magrai, Tehsil Mohangarh, District- Tikamgarh (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 1617 दिनांक 21/01/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1	
टॉर	समिति की पूर्व की 494वीं बैठक दिनांक 31/03/21 में उत्पादन क्षमता पत्थर–40,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Muffle blasting प्रस्तावित है।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–40,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	सहायक मानचित्रकार, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है,	

	इस प्रकार कुल रकबा 20.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय वन मण्डल, (मामौन गेट) टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1801 दिनांक 09/01/18 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय तहसीलदार, मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक–715 दिनांक 12/12/17 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जगतनगर जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा– Nala 300 m
	पश्चिम दिशा– Water storage structure 136 m
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई के दौरान पेय जल की व्यवस्था, वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिडकाव इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–34 के सरल क्रमांक–16 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–40,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.29 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.91 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम मगरई के ग्रामवासियो के लिए, साल में दो बार रक्तचाप, मधुमेह और मौखिक स्वच्छता की जाँच के लिए, स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगवाया जाएगा।	20,000/–
ग्राम पंचायत में एक नया हैंड पंप व उसके चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना करवाई जाएगीं।	60,000 /–
आंगनवाड़ी केंद्र के मरम्मत का कार्य में सहयोग कराया जाएगा ।	70,000/–

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, करंज, सीताफल, खमेर, चिरौल, अगेव वं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	910
2	ग्राम मगरई के शासकीय प्राथमिक विद्यालय।	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, कुसुम, गुलमोहर इत्यादि।	50
	बिहारीपुरा, मियाओ, कैलगुवां, ममराई और मररोली गांव के घरों में पेड़ों का वितरण किया जाएगा।	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, रुद्राक्ष, अशोक मुनगा इत्यादि। अन्य फलदार वृक्ष क्षेत्र के आस पास किसानों को दिया जायेगा।	3580
	एप्रोच रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु	शीशम, नीम, अमलतास, जामुन, करंज, आम, अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	260
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			
		कुल	4800

11. Case No 9233/2022 Smt. Rupali Kumawat situated near village Dodiya Meena Tehsil Malhargarh District Mandsaur (M.P.), Prior Environment Clearance for Stone & M-Sand Quarry in an area of 1.30 ha. (Stone - 3600 Cum per annum, M-sand - 20400 Cum per annum) (Khasra No. 3/4), Village - Dodiyameena, Tehsil - Malhargarh, Dist. Mandsaur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती रूपाली कुमावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Smt. Rupali Kumawat, Owner, situated near village Dodiya Meena Tehsil Malhargarh District Mandsaur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	3/4 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.30 hectare.
स्थल	Village Dodiyameena, Tehsil Malhargarh, Dist. Mandsaur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 330 दिनांक 18/02/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1	
टॉर	समिति की पूर्व की 581वीं बैठक दिनांक 24/06/22 को उत्पादन क्षमता Stone - 3600 Cum per annum, M-sand - 20400 Cum per annum के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार कंट्रोल ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–3600 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–20,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–3600 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–20,400 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 959 दिनांक 12/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 22.30 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 959 दिनांक 12/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 959 दिनांक 12/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत डोडिया मीणा जिला मंदसौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–7 दिनांक 03/10/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा– पर रोड–250 मीटर
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिडकाव, इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी. /सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–51 के सरल क्रमांक–116 पर दर्ज है ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–3600 मी^{3} प्रति वर्ष एवं एम.सेंड –20,400 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.95 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 0.70 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम डोडिया मीणा के शासकीय विद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए पालक शिक्षक संग समिति में राशि जमा कराइ जाएगी	1,80,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (0.3320 (Ha-) पर तीन लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	400
2	खदान क्षेत्र के पश्चिम दिशा में पक्की सड़क के 2 मीटर की लम्बाई पर 500 लाइनों में पौधरोपण किया जायेगा4 फीट की उॅचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	300
3	आस पास के ग्रामीण किसानो को पौधे वितरित किये जायेंगे	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	900
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना ।			
		कुल	1600

12. <u>Case No 10435/2023 Shri Deepak Kumar, Manager and Authorised person, M/s ORISON ASSOCIATES LLP, C/O Partner Pankaj Singh S/o Krishanpal Singh 310, 3rd floor Vardhman Taru Plaza CU block Pitampura Delhi -110034, Prior Environment Clearance for Richhai Crusher Stone & M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (Gitti-5715, M-Sand-51439 cum per year) (Khasra No. 394), Village-Richhai, Tehsil-Banda, District-Sagar (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री दीपक कुमार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Deepak Kumar, Manager and Authorised person, M/s ORISON

परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	ASSOCIATES LLP, C/O Partner Pankaj Singh S/o Krishanpal Singh 310, 3rd floor Vardhman Taru Plaza CU block Pitampura Delhi -110034	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	394 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village Richhai, Tehsil Banda and District Sagar (M.P.),	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 456 दिनांक 17/03/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार कंट्रोल ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–5715 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेंड–51,439 घनमीटर/वर्ष आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–5715 घनमीटर/वर्ष एवं एवरेज एम–सेंड–51,439 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 862 दिनांक 08/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 862 दिनांक 08/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 862 दिनांक 08/06/23 अनुसार 420 मीटर की दूरी पर प्राथमिक शाला एवं लगभग 550 मीटर की दूरी पर नहर स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रिछई सागर जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 दिनांक 16/08/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कुछ पेड लगे है, जिनमें से पेड को काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र पहाडी पर स्थित है।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 796 दिनांक 25/05/23 के द्वारा सूचित किया है कि भविष्य में जो जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन की जावेगी, उसमें उक्त उत्खनन् पट्टा सम्मिलित कर लिया जावेगा ।	

	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–5715 घनमीटर/वर्ष एवं एवरेज एम–सेंड–51,439 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 21.76 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 05.14 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.59 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
Furniture for government school of nearby village Richhai.	20,000/-
Government PHC Hospital of nearest village Richhai- • IRON Stretcher ABCO- 3 Nos @7699/- Each = 23097/- • Wheel Chair (200 kg) Medimove- 4 Nos@5521/- Each=22084/- • Pulse Oximeter Contec- 6 Nos@650/- Each=3900/- • BP Instrument Dr. Morepen- 6 Nos@1100/-Each=6600/- • Bench for Hospital SS Matt 4 Seater- 4 Nos@13500/- Each=54000/-	109681/-
Eye/Dental awareness camp and health checkup for people and employees of village Richhai.	30,000/-
Total	1,59,681

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में 7.5)m .X 814 m (.	महारूख, सलाई, नीम, खमेर, चिरोल, करंज, एवं सीताफल हर पेड़ के बीच में एक 4	850

2	खदान के परिवहन मार्ग एवं मुख्य मार्ग में वृक्षारोपण (L 394 m X W 4 m) पौंधो की न्यूनतम)ऊंचाई 01 (मीटर	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । गार्ड-ट्री)के साथ (	250
3	**ग्राम रिछाई के** स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज, सीताफल एवं अशोक	700
4	**ग्राम रिछाई** के ग्राम वासियों में पौंधो का वितरण	जामुन, मुनगा, सीताफल, कटहल नीबू, सीताफल एवं अमरुद	3000
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना ।			

13. <u>Case No 8881/2021 Shri Amit Kumar Rajput, Ward No. 40, Sita Ram Colony, Dist. Chhatarpur, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.708 ha. (35000 Cum per annum) (Khasra No. 189/1), Village - Ganjsijari, Tehsil - Bijawar, Dist. Chhatarpur (MP)</u>

प्रकरण आज सेक की 680वीं बैठक दिनांक 15/09/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

14. <u>Case No 10423/2023 Shri Dilip Jain, Lessee, Paras Colony, P.O. & District-Satna (MP)-485001, Prior Environment Clearance for Parasrampur White Earth Mine in an area of 4.995 ha. (4998 cum per year) (Khasra No. 512/2), Village-Parasrampur, Tehsil-Maihar, District-Satna (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Dilip Jain, Lessee, Paras Colony, P.O & District- Satna (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	512/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.995 Hectare

(सरकारी / निजी)		
स्थल	Village- Parasrampur, Tehsil- Maihar, District- Satna (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय–भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–03–187 / 85 / 12–1, दिनांक 27 / 06 / 03 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1 / बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेकट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया सतना के पत्र क्रमांक 2399 दिनांक 01 / 10 / 16 के द्वारा व्हाईट अर्थ–5000 घनमीटर / 10,000 टन / वर्ष घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा व्हाईट अर्थ–4,998 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार व्हाईट अर्थ–4,998 घनमीटर / वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1255 दिनांक 06 / 07 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1255 दिनांक 06 / 07 / 23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1255 दिनांक 06 / 07 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बदेरा जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–32 दिनांक 10 / 04 / 13 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–166 के सरल क्रमांक–139 पर दर्ज है ।	

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से जारी हुई है एंव खनन् का कार्य पूर्व में हुआ है डिया द्वारा अधिरोपित ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार 6000 पौधे लगाये जाने थे। **अतएव समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक**

को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तो के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं अन्य शर्तो का शत् प्रतिशत पालन प्रतिवेदन **एवं दस्तावेज, व्यय, जियो टेग फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें, साथ ही यह भी निर्देश दिया कि डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के अनुसार एवं प्रस्तावित योजना के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत पौधे का क्रियान्वयन प्रस्तुत करेगें, तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।**

15. Case No 10363/2023 Shri Amit Kumar Shivhare, Partner, M/s Shri Balaji Stone Mill, JV, 109, Gandhi Nagar, District-Mahoba (MP)-210427, Prior Environment Clearance for Karhari Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (30000 cum per year) (Khasra No. 223/1), Village-Karhari, Tehsil-Gaurihar, District-Chhatarpur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अमित कुमार शिवहरे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri AMIT KUMAR SHIVHARE, PARTNER, M/s SHRI BALAJI STONE MILL, 109, GANDHI NAGAR MAHOBA (U.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	223/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.00 Hectare
स्थल	Village - Karhari, Tehsil- Gaurihar, District-Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 283 दिनांक 11/01/19 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–30,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 359 दिनांक 13/02/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 03.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 359 दिनांक 13/02/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	

	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 359 दिनांक 13/02/23 अनुसार 01 किलोमीटर की दूरी पर चक मरेला जिला महोबा (उ.प्र.) है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत करहरी जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–14 दिनांक 15/08/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में एक पेड है, जो बैरियर जोन में होने की वजह से काटा नहीं जावेगा। Tree Felling - No
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–147 के सरल क्रमांक–133 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–30,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.20 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.81 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल करहरी में 1 कम्प्युटर, प्रिन्टर, प्रिन्टर टेबल के साथ एवं दो अलमारी	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, बॉस, करंज, आम, चिरोल, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	800
2	परिवहन मार्ग	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	100

	शास. अंकुर योजना के तहत थनरा ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	300
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना ।			
		कुल	1200

16. <u>Case No 10456/2023 Shri Sanjay Pathak, Lessee, R/o Sakarwat, Post-Bihra, Tehsil-Huzur, District-Rewa (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Baijnath Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5999 cum per year) (Khasra No. 82/2), Village-Baijnath, Tehsil-Huzur, District-Rewa (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री संजय पाठक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri SANJAY PATHAK, Lessee, /o- Sakarwat, Post- Bihra, Tehsil- Huzur, District-Rewa (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	82/2 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड भू–स्वामी की उत्खनन् हेत सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त)	1.0 Hectare
स्थल	Village -Baijnath, Tehsil- Huzur, District- Rewa (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 4766 दिनांक 21/04/23 के द्वारा स्वीकृत एवं संशोधन पत्र दिनांक 28/04/23.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–5,999 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–5,999 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2130 दिनांक 20/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.924 हे. होता है एवं	

	02 चूनापत्थर की स्वीकृत है, जिनका कुल रकबा 309.266 हे. होता है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2130 दिनांक 20/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2130 दिनांक 20/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बैजनाथ जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–24 दिनांक 26/01/20 द्वारा उक्त भूमि में सड़क की सीमा से 50 मीटर छोड़कर शेष भूमि पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में एक पेड है जो काटा नहीं जावेगा। Tree Felling - No Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– आबादी 170 मी. एवं आबादी–75 मी. एवं परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 25 मी. का गैर खनन् क्षेत्र छोडे जाने का प्रस्ताव है, तथा प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
	पूर्व दिशा– प्रस्तावक ने बताया कि एक हालेज रोड है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा ने पत्र क्रमांक 2129 दिनांक 20/06/23 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन किये जाने) उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उत्खनिपट्टा सम्मिलित कर लिया जावेग । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित

नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–5,999 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.20 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 1.96 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.36 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम बैजनाथ में स्थित शासकीय माध्यमिक विध्द्यालय में 1 कंप्यूटर ,1 प्रिंटर हेतु बाल शिक्षा संघ को राशि प्रदान की जावेगी	36,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत (खदान पट्टा सीमा 395 मीटर परिधि तक एवं गैर खनन क्षेत्र	काला सिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, आम, नीम, आमला, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोल आदि।	400
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 150 मीटर तक	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर ,पीपल आदि।	100
3	ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल आदि।	650
4	ग्राम बैजनाथ में स्थित शासकीय माध्यमिक विध्द्यालय	नीम, सिस्सू, करंज, पीपल, कदम्ब, चिरोल, पाकर , आदि।	50
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना ।			
		कुल	1200

17. Case No 10450/2023 Shri Meharban Chouhan, Proprietor, M/s Maa Bhagwati Enterprises, R/o Guradiyamata, Tehsil-Garoth, District-Mandsaur (MP) Prior Environment Clearance for Semli Shankar Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (Gitti-8000, M-sand-8000 cum per year) (Khasra No. 103/4/1), Village-Semli Shankar, Tehsil-Shamgarh,District-Mandsaur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मेहरवान चौहान एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri MEHARBAN CHOUHAN, Proprietor, M/s Maa Bhagwati Enterprises, R/O- Guradiyamata, Tehsil- Garoth, Dist- Mandsaur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	103/4/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare,
स्थल	Village Semli Shankar, Tehsil- Shamgarh, District- Mandsaur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदासौर के पत्र क्रमांक 1208 दिनांक 12/07/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार सिंगल रो मफल ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–8,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेंड–8,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–8,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेंड–8,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1367 दिनांक 04/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1367 दिनांक 04/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1367 दिनांक 04/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के	

	स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सेमली शंकर जिला मंदसौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–1 दिनांक 14/04/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में 15 पेड है, यह पेड अधिकाशं खैजडी प्रजाति के है। Tree Felling - 08 Additional tree to be planted -80
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा– पक्का रोड.– 195मी
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1367 दिनांक 04/08/23 द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा को अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–8,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेंड–8,000 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.56 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 2.39 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम सेमली शंकर में एक हैंड पंप लगवाया जावेगा एवं वाटर हार्वेस्टिंग हेतु	80,000

रिचार्ज पिट के साथ की व्यवस्था करवाई जावेगी	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत (खदान पट्टा सीमा 605 मीटर परिधि तक)	काला सिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोल आदि।	600
2	परिवहन मार्ग के किनारे वृक्षारोपण 250 मीटर तक	नीम, कदम्ब, खमेर, सिस्सू, पीपल, करंज आदि।	200
3	ग्राम सेमली शंकर में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला के परिसर में।	कचनार, चिरोल, नीम, कदम्ब, बरगद, पाकर, पीपल आदि।	50
4	**निकटतम ग्राम में स्थित मंदिर परिसर** में	पुत्रंजीवा नीम, पाकर, कचनार, अमलतास, चिरोल, बरगद, पीपल, फाइकस, कदम्ब, आदि।	50
	ग्राम सेमली शंकर के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	सीताफल, मूंगा, आम, संतरा , कटहल, संतरा, जामुन, आदि।	1580
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना ।			
		कुल	2400

18. <u>Case No 10461/2023 Smt. Munni Adiwasi W/o Shri Munshi Adiwasi, Village-Badgaon, Post-Bododi, District-Shivpuri (MP)-473551, Prior Environment Clearance for Girmora Murrum Quarry in an area of 1.00 ha. (15003 cum per year) (Khasra No. 181), Village-Girmaura, Tehsil-Shivpuri, District-Shivpuri (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमति मुन्नी आदीवासी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा. लि., नोयडा, (उ.प्र.). उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / क0 / संस्थान का नाम व पता	Smt. Munni Adiwasi W/o Shri Munshi Adiwasi, Village-Badgaon, Post-Bododi, District-Shivpuri (MP)-473551, E-mail-munni.env12@gmail.com, Mobile-8959144444. Prior Environment Clearance for Girmora Murrum Quarry in an area of 1.00 ha. (15,003 cum per year) (Khasra No. - 181), Village-Girmaura, Tehsil-Shivpuri, District-Shivpuri (MP) [439455]	
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. – 181, ग्राम –गिरमौरा तहसील–शिवपुरी, जिला –शिवपुरी, (म.प्र)	1.00 हेक्टे. शासकीय भूमि (पठार)
परियोजना की श्रेणी (बी–1 / बी–2)	बी–2	
LOI	पत्र क्र0. 715 दिनांक 23 / 06 / 2023.	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **मुरूम – 15,003 घनमीटर / वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **मुरूम – 15,003 घनमीटर / वर्ष** हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 915 दिनांक 03 / 08 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित / स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 1.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 915 दिनांक 03 / 08 / 2023 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 915 दिनांक 03 / 08 / 2023 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, इत्यादि स्थित नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत सुधरा जिला शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 12 / 03 / 2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -	

प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण दिशा– स्टाप डेम– 130 मी. एवं नहर–153 मी
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	प्रभारी अधिकारी(खनिज शाखा) जिला–शिवपुरी द्वारा पत्र क्र0. दिनांक / / द्वारा उल्लेख किया है, कि उक्त खदान स्वीकृति उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जायेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 15,003 मी^{3} प्रति वर्ष।

2- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.17 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.5 लाख प्रति वर्ष ।

3- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी॰इ॰आर॰ मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि
शासकीय प्राथमिक स्कूल सुहारा मे टॉयलेट का निर्माण एवं फर्नीचर (10 बेंच, डेस्क और 2 अलमारी)	60,000

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिस्सू, चिरोल, नीम, **जंगल जलेबी**,	800

		करंज, सीताफल, सफेद सिरिस, महुआ, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	
2	परिवहन मार्ग	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	100
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	300
		कुल	**1200**

19. <u>Case No 8834/2021 M/s Devis Surgico, 3, Giriraj Market, Lohiya Bazar, Laskar, Dist. Gwalior, MP - 474009, Prior Environment Clearance for Capacity Expansion from 100 kg per hour to 350 kg per hour (by addition of rotary kiln of 250 kg per hour) in Common Bio Medico Bio Medical Waste Treatment Facility at Village - Antri, Tehsil - Chinor, Dist. Gwalior, MP [69660] Cat. – 7(da) Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Capacity Expansion from 100 kg per hour to 350 kg per hour (by addition of rotary kiln of 250 kg per hour) in Common Bio Medico Bio Medical Waste Treatment Facility at Village - Antri, Tehsil - Chinor, Dist. Gwalior, MP.

Earlier, the ToR was recommended in the 535th SEAC meeting dated 16/12/21.

SN	Projects Details.	
1.	Proposal /Activity Name	**M/s Devis Surgico, 3, Giriraj Market, Lohiya Bazar, Laskar, Dist. Gwalior, MP - 474009, Email - devissurgico[at]gmail[dot]com, Mobile - 9827050487,**
2.	ToR Amendment	**Capacity expansion from 100kg per hr to 350kg per hr by addition of static kiln of 250kg per hr in common biomedical waste treatment facility**
3.	Previous ToR Status	• *Prior Environment Clearance for Capacity Expansion from 100 kg per hour to 350 kg per hour (by addition of rotary kiln of 250 kg per hour) in Common Bio Medico Bio Medical Waste Treatment Facility at Village - Antri, Tehsil - Chinor, Dist. Gwalior, MP [69660]* **Cat. – 7(da) Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.** • ToR Recommended in 535th SEAC Meeting dated 16/12/21. • TOR approved in 698 SEIAA meeting dated 28-12-21. • TOR issued vide letter no. 2850- 51/SEIAA/22 dated 17-01-22. Valid till 27-12-2025.

4.	EC Status (Fresh or Exp.)	Expanssion. Case (Proposed ToR).	
5.	Land Area details	Survey no. 1331/2, Village Antri , Teh. Chinore, Gwalior (MP)	
6.	Area in ha.	0.941 Hectare	
7.	Production Qty. in M^3/Y	*Capacity Expansion from 100 kg per hour to 350 kg per hour (by addition of rotary kiln of 250 kg per hour)*	
8.	CGWA / Gram Sabha NOC		
9.	Range of ground water table (post monsoon) (m bgl)		
Documentary Details			
10.	Existing EC details	MPSEIAA Case No. 5566/2017 EC issued vide letter no. 1801-02/SEIAA/18 dated 28-02-18.	
11.	P-II form (Khasra Panchshala)		
12.	M.O. Certificate (within 500 mt. details)/ Ekal Praman Patra	NA	
13.	Tehsildar Certificate	Ok Letter No.- date / / ,	
14.	DFO NOC	Ok Letter No.- date	
15.	Gram Sabha / Gram Panchayat Tharav Prastav - OK Dated 18/08/2021.		
16.	Production Quantity as per Approved Mining Plan	*Capacity Expansion from 100 kg per hour to 350 kg per hour (by addition of rotary kiln of 250 kg per hour)*	
17.	Env. Con.	Sh. , Visiontech Cosultancy Pvt. Ltd. , Bhuvneswar, (Orisha)	
18.	PFR	Ok	
19.	EMP	3500 Plants	
20.	Risc Assesment	Ok	
21.	Any tree cutting proposed is observed	No Tree Cutting. Trees Uprooted Proposed -	
22.	Replenishment plan **(Sand)**	**Sand** - --- **m3/year**	---

The case was presented by the PP Shri Sanjay Sasode & Mr. Manoj Jaiswal and their Environmental Consultant Shri P. Kumar Ranjan , CEO, from M/s. Visiontek Consultancy Services, Pvt. Ltd." wherein PP requested that the proposal of expansion project from 100 KG per hour to 350 kg per hr by adding up of another rotary incinerator of 250 kg per hr within existing Common Bio-medical Waste Treatment Facility was considered in meeting of SEAC and issued ToR vide no 2850/SEIAA/2022. PP submitted that the ToR was issued for installation of Rotary kiln and other equipments, however considering the financial viability and ease in operation, Static incinerator is proposed instead of Rotary one. All other features of the project shall remain same. Committee accepted the request made by PP and recommended to amended in TOR with the inclusion of following amendments in the comnfiguration of the project:

Sl. No	Equipment	Existing	Proposed
1	**Static Kiln** (with automatic waste feeding conveyor)	01 No. - 100 kg per hr	01 No. 250 kg per hr **static Kiln** (with automatic waste feeding & two second flue gas residence secondary chamber, heat exchanger, droplet separator, venture scrubber, bag filter, and fan ,chimney.
2	Autoclave	02 No. 0.25 m^3	01No. 250 lit with PLC
3	Shredder	01 No. 50 kg per hour	01 No.100 Kg per hour with latest technology with automatic conveyour feeding system
4	ETP	01 No 6 KLD	01 No. 15 KLD, With pressure flow meter measuring devices.(as per CPCB norms

Remaining terms of reference (TOR) shall remain same as recommended in 590 th SEAC meeting dated 26/08/2022.

20. <u>Case No 7523/2020 M/s S.V.Infra Developers, E-5/16, 1st Floor, Commercial Complex, Arera Colony, Dist. bhopal, MP - 462016, Prior Environment Clearance for Construction of "Premier Orchard" (Total Built-up Area = 74704.89 sqm.) at Village - Rasalakheri, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal (MP)</u>

प्रकरण आज सेक की 680वीं बैठक दिनांक 15/09/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

21. <u>Case No 5738/2018 M/s Danish Housing Coop. Society Ltd, 216-A, Zone-I, M.P.Nagar, Bhopal - 462008 Prior Environment Clearance for Proposed Residential Development on Part of Khasra No. 69 (Land Area = 15380 sq.mt, Total Built up Area = 24755.26 sqmt.) situated at Danish Hills View Colony Village Damkheda Kolar Road, Tehsil - Huzur, DIst. Bhopal, MP</u>

प्रकरण आज सेक की 680वीं बैठक दिनांक 15/09/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

22. Case No. - 5780/2018 M/s Fortune Soumya Santoza, C/o Fortune Soumya Housing, Bagli, Behind C-21 Mall, Bhopal, MP – 462016. Prior Environment Clearance for Construction of Group Housing Project "Fortune Soumya Heritage" Khasra No. – 99/2, 122, 123, 132, 133, 134, 135/2, 136 to 162, at Village - Bhairopur, Tehsil - Huzur & Dist. -Bhopal, (M.P.). Total Project Area = 43981.27 sqm., Built up Area = 59892.30 sqm). Category: 8(a) Building & Construction Project. Env. Con. – ENV DAS India Pvt. Ltd., Lucknow (U.P.).

प्रकरण आज सेक की 680वीं बैठक दिनांक 15/09/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

23. Case No 10165/2023 Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Senduri Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (54,000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Sinduri, Tehsil-Anuppur, District-Anuppur (MP).

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ.) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में सुश्री आशा लता वैद्य, खनिज अधिकारी एंव सुश्री ईशा वर्मा, खनिज निरीक्षक – अनूपपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Senduri Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (54,000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Sinduri, Tehsil-Anuppur, District-Anuppur (MP) [430018]		
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	01, ग्राम – सेंदुरी, तहसील – अनूपपुर, जिला – अनूपपुर, (म.प्र.),	3.00 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की	बी–2 श्रेणी,		

श्रेणी(बी–1/बी–2)	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान **सोन नदी** में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पश्चिमी, मध्य एवं पूर्वी पानी डूबा है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 54,000 घनमीटर/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत– 54,000 घनमीटर/वर्ष** हेतु स्वीकृत है।
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 885 दिनांक 23/05/2023.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 528 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 528 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 528 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत– मौहरा, जिला – **अनूपपुर** के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक **04** दिनांक **15/08/2017** अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– **42** के सरल क्रमांक – **17** पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–54,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 54,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड से छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 15/09/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ.) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । समिति ने पाया कि खदान पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत कर दिया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **रेत** –54,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.64 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.37 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.45 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, सेंदुरी के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	1,45,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा**

	नियत स्थान		(संख्या में)
1	ग्राम सेंदुरी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3600
✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।		
	योग		**3600**

24. <u>Case No 10205/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), Ward no. 16, opp. Jalalabad bank colony, Babai road, Narmadapuram, (M.P.) , Prior Environment Clearance for Khapakhurd Sand Mine in an area of 4.00 ha. (67200 cum per year) (Khasra No. 89), Village-Khapa Khurd, Tehsil-Bankhedi, District-Narmadapuram (M.P.).</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 25/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री महेन्द्र पटेल एवं श्री देवेश मरकाम, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri GOPAL SINGH, Junior Manager (Field), Ward no. 16, opp. Jalalabad bank colony, Babai road, Hoshangabad, (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	89 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड) आवेदन में खसरा नं. का उल्लेख नहीं है अपितु लीज आर्डर खसरा नं. उल्लेख किया गया है ।	4.00 ha.
स्थल	ग्राम KHAPA KHURD तसहील Bankhedi जिला Narmadapuram (म.प्र.)	

	(आवेदन में जिला होशंगाबाद उल्लेखित है जबकि लीज आर्डर अनुसार नर्मदापुरम उल्लेख किया है)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज	यह खदान दुधी नदी में स्थित है, जिसमें खदान के अंदर गढढो में कही कही पानी भरा हुआ है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–67,200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–67,200 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरक के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1599 दिनांक 29/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरक के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1599 दिनांक 29/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरक के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1599 दिनांक 29/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जुन्हैटा जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–6 दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत कोई आपत्ति नहीं है परंतु खदान से वाहन निकालने के लिए कोई शासकीय रास्त नहीं है, निजी कृषक की भूमि से जमीन में से रास्ता बनाकर वाहन निकाले जाते है, जो कि ग्राम के सदस्यों को आपत्ति है । वाहन निकालने के लिए ग्रामसभा असहमत है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक/ श्री देवेश मरकाम, खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि समिति कि 678 वीं मीटिंग दिनांक 11/09/2023 को रेत खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट –नर्मदापुरम अनुमोदन के हेतु सिया को अनुशंसित की जा चुकी है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे दिये गये अक्षांश–देशांश खनन योजना मे दर्शाये गये मानचित्र के अनुरूप नही पाये गये। सम्पूर्ण नक्शे में परिवर्तित होना पाया गया। अतएव संशोधित अक्षांश–देशांश एंव उन पर आधारित नक्शों को प्रस्तुत किया जाये। साथ ही समिति ने यह भी पाया कि नर्मदापुरम जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खनिज अधिकारी संशोधन किया जा रहा है।

अतः समिति ने उपरोक्त संबंध में संबंधित जिला खनिज अधिकारी को निर्देशित किया कि वे अतिशीघ्र जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सेक की पूर्व बैठकों मे दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रस्तुत करे।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक/ श्री देवेश मरकाम, खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि समिति कि 678 वीं मीटिंग दिनांक 11/09/2023 को रेत खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट –नर्मदापुरम अनुमोदन के हेतु सिया को अनुशंसित की जा चुकी है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **रेत – 67200** मी^{3} प्रति वर्ष।
2. खदान नर्मदा नदी में स्थित होने के कारण केवल मेन्यूअल माईनिंग की अनुमति होगी।
3. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.54 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.14 लाख प्रति वर्ष ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, कसदरैयटवाडी के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी |	**1,00,000**
अधोसंरचना विकास के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, कसदरैयटवाडी के पालक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी |	40,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	2499
		5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(	506
		6पंक्ति -करंज, जामुन, कहवा, एगेव, करौंदा, सीताफल, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ) दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	211
2	ग्राम कसदरैयटवाडी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, करंज, अर्जुन, मुनगा, एगेव, करौंदा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1584
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।		
	योग		

25. <u>Case No 10202/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), Ward no. 16, opp. Jalalabad bank colony, Babai road, Narmadapuram, (M.P.) , Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 4.00 ha. (67200 cum per year) (Khasra No. 32), Village- Sarra Kishore, Taluka- Pipariya, District- Narmadapuram (M.P.)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 25/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र.

उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री महेन्द्र पटेल एवं श्री देवेश मरकाम, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri GOPAL SINGH, Junior Manager (Field), Ward no. 16, opp. Jalalabad bank colony, Babai road, Hoshangabad, M.P	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	32(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 ha.
स्थल	Village- Sarra Kishore, Taluka- Pipariya, District- Narmadapuram (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–67,200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–67,200 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदावपुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1586 दिनांक 29/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदावपुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1586 दिनांक 29/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदावपुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1586 दिनांक 29/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सिवनी जिला होशंगाबाद के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–13 दिनांक 14/4/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित है ।	

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक/ श्री देवेश मरकाम, खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि समिति कि 678 वीं मीटिंग दिनांक 11/09/2023 को रेत खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट –नर्मदापुरम अनुमोदन के हेतु सिया को अनुशंसित की जा चुकी है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे दिये गये अक्षांश–देशांश खनन योजना मे दर्शाये गये मानचित्र के अनुरूप नही पाये गये। सम्पूर्ण नक्शे में परिवर्तित होना पाया गया। अतएव संशोधित अक्षांश–देशांश एंव उन पर आधारित नक्शों को प्रस्तुत किया जाये। साथ ही समिति ने यह भी पाया कि नर्मदापुरम जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खनिज अधिकारी संशोधन किया जा रहा है। अतः समिति ने उपरोक्त संबंध में संबंधित जिला खनिज अधिकारी को निर्देशित किया कि वे अतिशीघ्र जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सेक की पूर्व बैठकों मे दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रस्तुत करे।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक/ श्री देवेश मरकाम, खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि समिति कि 678 वीं मीटिंग दिनांक 11/09/2023 को रेत खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट –नर्मदापुरम अनुमोदन के हेतु सिया को अनुशंसित की जा चुकी है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **रेत – 67200** मी^{3} प्रति वर्ष।
2. खदान नर्मदा नदी में स्थित होने के कारण केवल मेन्यूअल माईनिंग की अनुमति होगी।
3. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 2.55 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.94 लाख प्रति वर्ष ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**

अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, सर्रा किशोर के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी |	**1,00,000**
अधोसंरचना विकास के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सांडिया के रेड क्रॉस समिति में धन राशि जमा कराई जाएगी |	40,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3–1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	2499
		5–4पंक्ति –कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(	506
		6पंक्ति –करंज, जामुन, कहवा, एगेव, करौंदा, सीताफल, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ) दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	211
2	ग्राम सर्रा किशोर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1584

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	**4800**

26. <u>Case No 10204/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), Ward no. 16, opp. Jalalabad bank colony, Babai road, Narmadapuram, (M.P.) Prior Environment Clearance for Kasdaraiyatwadi Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (67200 cum per year) (Khasra No. 18), Village Kasdaraiyatwadi, Tehsil Itarsi, District Narmadapuram, Madhya Pradesh.</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री महेन्द्र पटेल एवं श्री देवेश मरकाम, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri GOPAL SINGH, Junior Manager (Field), Ward no. 16, opp. Jalalabad bank colony, Babai road, Hoshangabad, (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	18 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 ha.
स्थल	Village Kasdaraiyatwadi, Tehsil Itarsi, District Narmadapuram, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज	यह खदान सुखतवा नदी में स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–67,200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–67,200 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1574 दिनांक 29/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 309 दिनांक 12/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव	

	विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 309 दिनांक 12/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चौकीपुरा जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–5 दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक/ श्री देवेश मरकाम, खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि समिति कि 678 वीं मीटिंग दिनांक 11/09/2023 को रेत खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट –नर्मदापुरम अनुमोदन के हेतु सिया को अनुशंसित की जा चुकी है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे दिये गये अक्षांश–देशांश खनन योजना मे दर्शाये गये मानचित्र के अनुरूप नही पाये गये। सम्पूर्ण नक्शे में परिवर्तित होना पाया गया। अतएव संशोधित अक्षांश–देशांश एंव उन पर आधारित नक्शों को प्रस्तुत किया जाये। साथ ही समिति ने यह भी पाया कि नर्मदापुरम जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खनिज अधिकारी संशोधन किया जा रहा है। अतः समिति ने उपरोक्त संबंध में संबंधित जिला खनिज अधिकारी को निर्देशित किया कि वे अतिशीघ्र जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सेक की पूर्व बैठकों मे दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रस्तुत करे।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक/ श्री देवेश मरकाम, खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि समिति कि 678 वीं मीटिंग दिनांक 11/09/2023 को रेत खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट –नर्मदापुरम अनुमोदन के हेतु सिया को अनुशंसित की जा चुकी है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **रेत – 67200** मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.54 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.14 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, कसदरैयटवाडी के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी |	**1,00,000**
अधोसंरचना विकास के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, कसदरैयटवाडी के पालक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी |	40,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3–1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	2499
		5–4पंक्ति –कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(	506
		6पंक्ति –करंज, जामुन, कहवा, एगेव, करौंदा, सीताफल, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ) दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	211
2	ग्राम कसदरैयटवाडी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, करंज, अर्जुन, मुनगा, एगेव, करौंदा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1584

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	**4800**

27. <u>Case No 10195/2023 Shri RAM SONI, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधकजिला कार्यालय (सिंगरौली, Amarpatan, ward-02 near by Shishu Shiksha Sadan School, Sidhi (M.P.) Prior Environment Clearance for Dalapiper Sand Deposit in an area of 2.00 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 1351), Village-Dalapiper, Tehsil-Majhauli, District-Sidhi (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 24/8/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राम सोनी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री शिशिर यादव, खनिज निरीक्षक, सीधी समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAM SONI, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक) जिला कार्यालय सिंगरौली, Amarpatan, ward-02 near by Shishu Shiksha Sadan School, Sidhi (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल	1351 (P) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 ha.
स्थल	Village Dalapiper, Tehsil Majhauli , District Sidhi . (MP)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज	यह खदान गोपद नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण–पत्र	

अन्य खदानें	क्रमांक 564 दिनांक 07/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 564 दिनांक 07/07/23 अनुसार संजय टाईगर रिजर्व ईको संवेदी जोन से 11014 मीटर दूर है, शेष अन्य 10 किलोमीटर की परिधि में एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 564 दिनांक 07/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत टिकरी जिला सीधी के पत्र दिनांक 24/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का कार्य पंचायत को सौपा जाये ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–26 के सरल क्रमांक–14 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–16,800 टन उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–12,000 घनमीटर/वर्ष घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 15/09/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राम सोनी, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति ने पाया कि खदान पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत कर दिया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **रेत** –12,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.68 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 1.47 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.36 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कोलान टोला, टिकारी के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	36,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
3	ग्राम दलापिपेर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2400
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।			
	योग		

28. Case No 10196/2023 Shri RAM SONI, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधकजिला कार्यालय (सिंगरौली, Amarpatan, ward-02 near by Shishu Shiksha Sadan School, Sidhi (M.P.) Prior Environment Clearance for Pondi Sand Deposit in an area of 4.900 ha. (29387 cum per year) (Khasra No. 46), Village-Pondi, Tehsil-Kusmi, District-Sidhi (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 24/8/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राम सोनी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री शिशिर यादव, खनिज निरीक्षक, सीधी समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAM SONI, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक) जिला कार्यालय सिंगरौली, Amarpatan, ward-02 near by Shishu Shiksha Sadan School, Sidhi (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल	46 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.9 hectares
स्थल	Village- Pondi, Tehsil- Kusmi, District- Sidhi, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज	यह खदान गोपद नदी में स्थित है, एवं जिसका आंशिक भाग पानी डूबा है	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–29,387 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–29,387 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 566 दिनांक 07/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 566 दिनांक 07/07/23 अनुसार संजय टाईगर रिजर्व ईको संवेदी जोन से 10300 मीटर दूर है, शेष अन्य 10 किलोमीटर की परिधि में एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 566 दिनांक 07/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत रामपुर जिला सीधी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–16 दिनांक	

पंचायत की अनापत्ति	02/10/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–25 के सरल क्रमांक–4 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–82,320 टन उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–29,387 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 15/09/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राम सोनी, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति ने पाया कि खदान पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत कर दिया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **रेत** –29,387 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.29 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.05 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.78 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पापल के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	78,500

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5880 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
3	ग्राम पोंड़ी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	5880
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।			
	योग		

29. <u>Case No 10547/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Jawali Sand Mine in an area of 5.00 ha. (84000 cum per year) (Khasra No. 686 Old No. 380), Village-Jawali, Tehsil-Babai, District-Hoshangabad (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), Ward no. 16, opp. Jalalabad bank colony, Babai road, Narmadapuram, (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	686 (Old No. 380) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	5.00 hectare.
स्थल	Village- Jawali, Tehsil- Makhannagar, District- Narmadapuram, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान तवा नदी में स्थित है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–84,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–84,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1534 दिनांक 29/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1534 दिनांक 29/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1534 दिनांक 29/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा	

	संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जावली जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–1 दिनांक 14/04/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् ग्राम पंचायत को सौपा जाये ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–74 के सरल क्रमांक–27 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–84,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 84,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–84,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. खदान नर्मदा नदी में स्थित होने के कारण केवल मेन्यूअल माईनिंग की अनुमति होगी।
3. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.67 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.97 लाख प्रति वर्ष ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.61 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय, जवाली के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी ।	**1,00,000**
अधोसंरचना विकास के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, जवाली के पालक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी ।	61,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम ..... वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3–1पंक्ति – खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी फीट 2.5 से 2.0 प्रति पौधा)	4099
		5–4पंक्ति –कटंग बांस (दूरी मीटर प्रति 3.0 से 2.5 पौधा)	666
		6पंक्ति –करंज, जामुन, कहवा, एगेव, करौंदा, सीताफल, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी मीटर प्रति पौधा 5.0 से 3.0))	278
2	ग्राम जवाली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, करंज, अर्जुन, मुनगा, एगेव, करौंदा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	957

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	**6000**

30. <u>Case No 10171/2023 Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sarangarh Sand Mine in an area of 2.73 ha. (49,140 cum per year) (Khasra No. 420), Village-Saranggarh, Tehsil-Kotma, District-Anuppur (MP</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 24/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ. प्र), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में सुश्री आशालता वैद्य, खनिज अधिकारी एंव सुश्री ईशा वर्मा, खनिज निरीक्षक – अनूपपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sarangarh Sand Mine in an area of 2.73 ha. (49,140 cum per year) (Khasra No. 420), Village-Saranggarh, Tehsil-Kotma, District-Anuppur (MP) [434689].		
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	420, ग्राम – सांरगगढ़, तहसील – कोतमा, जिला – अनूपपुर, (म.प्र.),	2.73 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी	बी–2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान **केवई नदी** में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा होने के कारण तथा 225 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज अप स्ट्रीम मे स्थित है। अतः रोड ब्रिज/डूबा होने के कारण सेटबेक 1.09 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.63 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 49,140 घनमीटर/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत– 49,140 घनमीटर/वर्ष** हेतु स्वीकृत है।		
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 885 दिनांक 23/05/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 522 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.73 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 522 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 522 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, पक्का रास्ता इत्यादि स्थित नहीं है।		

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैतहरी, तहसील– जैतहरी, जिला – **अनूपपुर** का अनापत्ति प्रमाण–पत्र **11/09/2020** अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– **42** के सरल क्रमांक – **13** पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–49,140 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 49,140 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित खदान के पुनरीक्षित कोर्डीनेट्स/के.एम.एल. इमेज प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 15/09/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ.) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **रेत** –49,140 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.23 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.76 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.28 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**

अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय मध्य विद्यालय, गढ़ी के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी ।	1,28,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3276 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3–1पंक्ति - खस घास, करौंदा, करंज अर्जुन एवं स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	1500
2	ग्राम सारंगढ़ के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1776
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।			
	योग		

31. <u>Case No 10179/2023 Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Katkona Sand Mine in an area of 3.00 ha. (54,000 cum per year) (Khasra No. 447), Village-Katkona, Tehsil- Kotma, District-Anuppur (MP)</u>

680वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 सितम्बर 2023

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 24/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में सुश्री आशालता वैद्य, खनिज अधिकारी एंव सुश्री ईशा वर्मा, खनिज निरीक्षक – अनूपपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Katkona Sand Mine in an area of 3.00 ha. (54,000 cum per year) (Khasra No. 447), Village-Katkona, Tehsil- Kotma, District-Anuppur (MP) [434692]		
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	447, ग्राम – कटकोना, तहसील – कोतमा, जिला – अनूपपुर, (म.प्र),	3.00 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी	बी–2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान **केवई नदी** में स्थित है, खदान में से एक नदी की धारा निकल रही है तथा पूर्व दिशा से एक प्राकृतिक नाला नदी में आकर मिल रहा है तथा 498 मीटर पर डाऊन स्ट्रीम पर एक रेल्वे ब्रिज स्थित है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 54,000 घनमीटर/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत– 54,000 घनमीटर/वर्ष** हेतु स्वीकृत है।		
LOI details.	पत्र क्र0. 885 दिनांक 23/05/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1004 दिनांक 31/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1004 दिनांक 31/05/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1004 दिनांक 31/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।		

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	कार्या0. जनपद पंचायत, कोतमा, जिला – **अनूपपुर** के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 3084 दिनांक **10/09/2020** अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– **42** के सरल क्रमांक – **15** पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– **54,000** घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा **54,000** घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि मार्च एंव अप्रैल माह में नदी में पानी नही रहता है जिससे रेत खनन की प्रस्तावित मात्रा उपलब्ध रहती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 15/09/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ.) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । समिति ने पाया कि खदान पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत कर दिया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **रेत** –54,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.51 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.50 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम कटकोना के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी ।	1,40,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
2	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में (	3-1पंक्ति - खस घास, करौंदा, करंज अर्जुन एवं स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	612
3	ग्राम कटकोना के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2988
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।			
	योग		**3600**

32. Case No 10173/2023 Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Dekhal Sand Mine in an area of 5.00 ha. (90,000 cum per year) (Khasra No. 582, 1176), Village-Dekhal, Tehsil- Anuppur, District-Anuppur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 24/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited,एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ. प्र), उपस्थित हुए उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में सुश्री आशालता वैद्य, खनिज अधिकारी एंव सुश्री ईशा वर्मा, खनिज निरीक्षक – अनूपपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Dekhal Sand Mine in an area of 5.00 ha. (90,000 cum per year) (Khasra No. 582, 1176), Village-Dekhal, Tehsil- Anuppur, District-Anuppur (MP) [434822]		
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	582, 1176, ग्राम – देखल, तहसील – अनूपपुर, जिला – अनूपपुर, (म.प्र.),	5.00 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी	बी–2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान **गोडारू नदी** में स्थित है, खदान क्षेत्र 02 भागो में विभक्त है इनके बीच 02 स्टॉप डेम है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 90,000 घनमीटर/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत– 90,000 घनमीटर/वर्ष** हेतु स्वीकृत है।		
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 885 दिनांक 23/05/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 532 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 532 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250		

	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **अनूपपुर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 532 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैतहरी, तहसील– जैतहरी, जिला – **अनूपपुर** का अनापत्ति प्रमाण–पत्र **11/09/2020** अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– **41** के सरल क्रमांक – **03** पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– **90,000** घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा **90,000** घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि मार्च एंव अप्रैल माह में नदी में पानी नही रहता है जिससे रेत खनन की प्रस्तावित मात्रा उपलब्ध रहती है।
प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 15/09/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, Shri Pramod Saxena, OIC, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ.) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । समिति ने पाया कि खदान पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत कर दिया गया है।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **रेत** –90,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि

किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.69 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.34 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम पाली के शासकीय माध्यमिक विद्यालय के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी ।	2,30,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
2	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति - खस घास, करौंदा, करंज अर्जुन एवं स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	3000
3	ग्राम दैखल के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3000

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	

33. Case No 10203/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), Ward no. 16, opp. Jalalabad bank colony, Babai road, Narmadapuram, (M.P.) Prior Environment Clearance for Kamti Sand Deposit in an area of 5.00 ha. (84000 cum per year) (Khasra No. 332), Village-Kamti, Tehsil-Bankhedi, District- Narmadapuram (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री महेन्द्र पटेल एवं श्री देवेश मरकाम, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri GOPAL SINGH, Junior Manager (Field), Ward no. 16, opp. Jalalabad bank colony, Babai road, Hoshangabad, M.P	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	332 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	5.00 ha.
स्थल	Village- Kamti, Tehsil- Bankhedi, District- Narmadapuram, M .P.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान दुधी नदी में स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–84,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–84,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1598 दिनांक 29/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1598 दिनांक 29/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1598 दिनांक 29/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में	

	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कामती जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–6 दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत सहमत है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–68 के सरल क्रमांक–37 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–84,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 84,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे दिये गये अक्षांश–देशांश खनन योजना मे दर्शाये गये मानचित्र के अनुरूप नही पाये गये। सम्पूर्ण नक्शे में परिवर्तित होना पाया गया। अतएव संशोधित अक्षांश–देशांश एंव उन पर आधारित नक्शों को प्रस्तुत किया जाये। साथ ही समिति ने यह भी पाया कि नर्मदापुरम जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खनिज अधिकारी संशोधन किया जा रहा है। अतः समिति ने उपरोक्त संबंध में संबंधित जिला खनिज अधिकारी को निर्देशित किया कि वे अतिशीघ्र जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सेक की पूर्व बैठकों मे दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रस्तुत करे।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक/ श्री देवेश मरकाम, खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि समिति कि 678 वीं मीटिंग दिनांक 11/09/2023 को रेत खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट –नर्मदापुरम अनुमोदन के हेतु सिया को अनुशंसित की जा चुकी है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **रेत – 84,000** मी^{3} प्रति वर्ष।
2. खदान नर्मदा नदी में स्थित होने के कारण केवल मेन्यूअल माईनिंग की अनुमति होगी।
3. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं

है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.63 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.95 लाख प्रति वर्ष ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.61 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, कामटी के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी ।	**1,00,000**
अधोसंरचना विकास के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, कामटी के पालक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी ।	61,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3–1पंक्ति – खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी फीट 2.5 से 2.0 प्रति पौधा)	4099
		5–4पंक्ति –कटंग बांस (दूरी मीटर प्रति 3.0 से 2.5 पौधा)	666
		6पंक्ति –करंज, जामुन, कहवा, एगेव, करौंदा, सीताफल, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी मीटर प्रति पौधा 5.0 से 3.0))	278
2	ग्राम कामटी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	957

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर

पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	**6000**

34. <u>Case No 10540/2023 Shri Pramod Dhabai, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kachlora-1 Sand Mine in an area of 0.10 ha. (1200 cum per year) (Khasra No. 67), Village-Kachlora, Tehsil-Ghoda Dongri, District-Betul (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद धावई एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री बीके. नागवंशी, खनिज निरीक्षक भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	67 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	0.10 ha. hectare.
स्थल	Village- Kachlora-1, Tehsil- Ghodadongari, District- Betul, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 970 दिनांक 02/06/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान कचलोरा नदी में स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–1200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–1200 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1242 दिनांक 19/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई	

	खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1242 दिनांक 19/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1242 दिनांक 19/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आमढाना जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 दिनांक 10/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–51 के सरल क्रमांक–15 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–1200 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1200 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–1200 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.67 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.50 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 8000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अद्योसंचना विकास के लिये प्राथमिक स्कूल कचरोला के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जायेगी	8000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 120 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	3-1पंक्ति – खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी फीट 2.5 से 2.0 प्रति पौधा)	62
		5-4पंक्ति -कटंग बांस (दूरी मीटर प्रति 3.0 से 2.5 पौधा)	18
		6पंक्ति -करंज, जामुन, कहवा, एगेव, करौंदा, सीताफल, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी मीटर प्रति 5.0 से 3.0 पौधा))	25
2	ग्राम कचरोला के ग्रामवासियो में वितरण	आंवला, मुनगा,अमरूद, सीताफल, आम, पपीता, नीबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	15
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।		
		कुल	120

35. <u>Case No 10541/2023 Shri Sushil Pathak, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Rihuta Sand Mine in an area of 1.00 ha. (9600 cum per year) (Khasra No. 381), Village- Rihuta, Tehsil-Deemarkheda, District- Katni (M.P.)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 15/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुशील पाठक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि.,

गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री कमल कांत परस्ते, खनिज निरीक्षक भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri Sushil Pathak, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	381 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.00 hectare.
स्थल	Village- Rihuta, Tehsil- Deemarkheda, District- Katni (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान हिरन/बेलकुण्ड नदी में स्थित है, खदान क्षेत्र से 480 मी. पर एक रोड ब्रिज है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–9600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–9600 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1341 दिनांक 16/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1341 दिनांक 16/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1341 दिनांक 16/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत परसेल जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–7 दिनांक 26/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।	

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–61 के सरल क्रमांक–39 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–9600 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 9600 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला कटनी द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र के पुनरक्षित अक्षांश–देशांश अपने पत्र क्रमांक 2107 दिनांक 13/09/2023 के द्वारा प्रस्तुत किये गये है, पत्र का प्रस्तुतीकरण में संलग्न है। इस संबंध में उपस्थित जिला खनिज अधिकारी द्वारा उक्त संबंध में पुष्टि की गई ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–9600 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.36 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.77 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय, खिराहनी खर्द के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	30,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम रिहुटा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत			

स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।	
कुल	

36. <u>Case No 8226/2021 Shri ACHAL SHARMA, H.I.G.-10, Deendayalpuram Jhansi Road Shivpuri, District- Shivpuri, M.P Madhya Pradesh 473551 Amendment in Prior Environment Clearance for Garetha Stone & M-Sand Quarry in an area of Area 2.95 ha. (Stone-10000 cum/yr & M-Sand – 50000 cum/yr) (Khasra No. 855), Village - Garetha, Tehsil - Pichore, Dist. Shivpuri (MP)</u>

प्रकरण में समिति की पूर्व की 486वीं बैठक दिनांक 26/02/21 को पत्थर–1,29,988 घन मीटर/वर्ष एवं वेस्ट–24,670 घनमीटर/वर्ष हेतु श्री नवीन शर्मा के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी । सिया के पत्र क्रमांक 1016 दिनांक 14/07/22 द्वारा पत्थर–1,29,988 घन मीटर/वर्ष एवं वेस्ट–24,670 घनमीटर/वर्ष हेतु परियोजना प्रस्तावक के नाम से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति स्थानांतरित की गई ।

परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर फार्म–4 के साथ लीज आर्डर, ईएमपी, पीएफआर एवं संशोधित माइन प्लांन प्रस्तुत कर पत्थर–10,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेंड–50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

प्रकरण समिति के समक्ष दिनांक 09/08/23 को रखा गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल ईएनसी, बडोदरा, गुजरात उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि –

पत्थर उत्खनन् के दौरान निकलने वाले ओव्हर वर्डन से एम–सेंड बनायेंगे, जिसे पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन संबंधी है । परियोजना प्रस्तावक समिति के समक्ष पूर्व में प्रदाय की गई पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन संबंधी परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि

- As per the Existing EC condition we have to plant the 4440nos Plants at the ML area, no mining zone & at village area in consultation with Gram panchayat/District Administration or at any chunk lund.
- In compliance of this initially we have planted about 300nos of plants at the mine lease area and along the hauld road. (Photos of which are attached)

- We have also contributed in the plantation programme carried out by Gram panchayat Garetha under Ajadi k Amrit Mahotasav in village areas (about 500 nos plants)
- We have also distributed saplings to the nearby villagers and about 100 saplings distributed to the villagers of Garetha village.

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करें :–

- परियोजना प्रस्तावक वन विभाग/उद्यानिकी विभाग की रोपणी से 2000 पौधों क्रय कर 1000 पौधों का स्वयं रोपण एवं 1000 पौधों का गांवों में वितरण संबंधी प्रमाणित दस्तावेज मय फोटोग्राफ के प्रस्तुत करें ।

उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 16/06/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, जिसमें पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल ईएनसी, बडोदरा, गुजरात उपस्थित हुए ।

PP submitted that We hereby seek for the amendment of the Existing Production capacity for the Garetha Stone Quarry, situated at Khasra no. 855 in the Village of Garetha, Tehsil Pichhore, District Shivpuri (Madhya Pradesh), covering an area of 2.950 hectares.

This amendment pertains to the modification of production capacity, from 1,29,988 cubic meters per year of Stone and 24,670 cubic meters per year of Overburden and Waste **to 50,000 cubic meters per year of M-sand and 10,000 cubic meters per year of Stone (Gitti)** ***as per the approved mining plan without exceeding the total approved production capacity*****. PP further submitted that -**

- Initially, EC recommended in 486th SEAC meeting dated 26-02-2021.
- Subsequently, the EC was granted in the 665th SEIAA meeting on March 6, 2021, in the name of Late Shri Naveen Sharma for a Stone Quarry spanning an area of 2.95 hectares on khasra number 855 of government land located in the village of Garetha in the Shivpuri district. The approved production capacity is 129988 cubic meters per year for Stone (Gitti) and 24670 cubic meters per year for overburden and waste.

- Later on the EC was transferred in the name of Achal Sharma S/o Shri Shri Rajendra Sharma in SEIAA meeting 735th dtd 11-07-2022.

And now In light of the **668th SEAC Minutes dtd. 9-08-2023**, we are hereby submitting a query presentation regarding the proposed amendment to the existing production capacity.

PP further submitted that –

- As per the Existing EC condition we have to plant the 4440nos Plants at the ML area, no mining zone & at village area in consultation with Gram panchayat/District Administration or at any chunk land.
- In compliance of this initially we have planted about 500nos of plants at the mine lease area and along the haul road. (Photos of which are attached in the ppt)
- We have also contributed in the plantation programme carried out by Gram panchayat Garetha under Ajadi k Amrit Mahotasav in village areas (about 500 nos plants)
- We have also distributed about 1000 nos. of saplings to the nearby villagers and 200 nos. of saplings to Students (Photos attached in the ppt)

The EIA/EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant EC Amendment for **50,000 cubic meters per year of M-sand and 10,000 cubic meters per year of Stone (Gitti) at Garetha Stone & M-Sand Quarry in an area of Area 2.95 ha. (Stone-10000 cum/yr & M-Sand – 50000 cum/yr) (Khasra No. 855), Village - Garetha, Tehsil - Pichore, Dist. Shivpuri (MP).** subject to the following special conditions:

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – 50,000 cubic meters per year of M-sand and 10,000 cubic meters per year of Stone ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.72 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 2.09 लाख प्रति वर्ष
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम गरेठा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में जरूरत के हिसाब से सामग्री एवं उपकरण उपलब्ध करवाकर विद्यालय का उन्नयन एवं एक नवीन क्लासरूम बनवाया जावेगा	1,40,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3550 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	*बैरियर जोन के अंतर्गत (खदान पट्टा सीमा ~750 मीटर परिधि तक)*	*काला सिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोल आदि।*	*600*
2	*परिवहन मार्ग के किनारे वृक्षारोपण 200 मीटर तक*	*नीम, कदम्ब, खमेर, सिस्सू, पीपल, करंज आदि।*	*140*
3	*ग्राम गरेठा में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला के परिसर में।*	*कचनार, चिरोल, नीम, कदम्ब, बरगद, पाकर, पीपल आदि।*	*50*
	ग्राम गरेठा के नजदीक स्थित खेल मैदान में	खमेर, सिस्सू, नीम, पाकर, कचनार, चिरोल, बरगद, पीपल, कदम्ब, आदि।	*1260*
4	ग्राम गरेठा एवं नजदीक स्थित ग्रामीणों	*सीताफल, मूंगा, आम, संतरा , कटहल, संतरा, जामुन,* आदि।	*1500*
		कुल	**3550**

अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु

- पूर्व में रेत खदानों के जिन प्रकरणों समिति द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की गई है, उसमें वर्णित शर्तो के परिपालन के संबंध में संबंधित जिले के खनिज अधिकारी, पुष्टि कराकर सिया को अवगत करावें तथा वर्तमान में जिन प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जा रही है, उसमें वृक्षारोपण सी.ई.आर एवं अन्य शर्तो का परिपालन माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। पर्यावरण स्वीकृति शर्तो का परिपालन में देखना होगा।
- As per **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river…….bank” shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.

- **ऐसे प्रकरण जिसमें लीज ट्रांसफर हुई है।**

समिति ने प्रकरण के परीक्षण में पाया पूर्व में डिया के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में अर्थात डिया से प्रदाय की गई ई.सी के शर्तो के बारे में स्पष्टता नहीं है कि जिन्हे नई खदान स्वीकृत हुई है, उन्हे ई.सी की शर्तो का पालन करना है या नहीं ? किसको करना है यह स्प्ष्ट नहीं है। और न ही खदान की भू–स्वामी की सहमति स्पष्ट है

इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि डिया के प्रकरणों में फार्म–1 में Re-appraisal से बचने के लिये ऐसे नई खदान के रूप में कई प्रकरण सामने आ सकते है अतः सिया स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाना उचित होगा।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.

20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/

Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest

shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.

12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village

through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'
General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.

26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।